भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 595

जिसका उत्तर 06 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है ।

15 अग्रहायण, 1945 (शक)

डीप फेक तकनीक की शिकायतें

595. श्री राम कृपाल यादव:
श्री जनार्दन मिश्र:
श्री हरीश द्विवेदी:
डॉ. रामशंकर कठेरिया:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस डीप फेक तकनीक के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा शिकायतें के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने डीप फेक तकनीक से किए जाने वाले अपराधों को रोकने के लिए कोई कानून बनाया है अथवा कोई जांच समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने प्रयोक्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय तथा जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है।

सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहित नई और विकसित प्रौद्योगिकियों से जुड़े लाभों के साथ-साथ जोखिमों से भी अवगत है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाने की अपार क्षमता है, लेकिन यह कुछ चुनौतियां और जोखिम भी पैदा करती है। हालांकि, एआई की यही तकनीक डीपफेक के माध्यम से गलत सूचना उत्पन्न कर सकती है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी और इंटरनेट को बेहतरी के लिए शक्ति के रूप में देखा जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में, उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचाने और आपराधिकता पैदा करने के लिए प्रौद्योगिकी का भी शोषण किया गया है। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या आज 88 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2026 तक 120 करोड़ उपयोगकर्ता होने की उम्मीद है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में इंटरनेट खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह है, केंद्र सरकार ने दिनांक 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") को अधिसूचित किया है जिसे बाद में दिनांक 28.10.2022 और 6.4.2023 को संशोधित किया गया था। ये नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों या प्लेटफार्मों सहित मध्यस्थों पर सम्यक सावधानी बरतने के लिए विशिष्ट दायित्व डालते हैं और मध्यस्थों द्वारा आईटी नियम, 2021 में प्रदान की गई सावधानी का पालन करने में विफलता के मामले में, वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत अपने सुरक्षित स्थान की सुरक्षा खो देंगे और ऐसे कानून में प्रदान की गई परिणामी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के उप-खंड (v) और (vi) में यह प्रावधान है कि सोशल मीडिया मध्यस्थ सहित एक मध्यस्थ स्वयं सम्यक प्रयास

करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सम्यक सावधानी बरतेगा और अपने कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ता को किसी भी अवैध सूचना को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, संचारित, संग्रहीत, अद्यतन या साझा नहीं करेगा जो संदेश की उत्पत्ति के बारे में प्राप्तकर्ता को धोखा देता है या गुमराह करता है या जानबूझकर किसी भी गलत सूचना या जानकारी को संप्रेषित करता है जो प्रकृति में स्पष्ट रूप से गलत और असत्य या भ्रामक है या जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करता है या किसी कानून का उल्लंघन करता है। सरकार की ऐसी किसी भी ऑनलाइन सूचना के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है जो स्पष्ट रूप से झूठी, गलत सूचना और राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध है।

(ख) से (घ): डीपफेक गलत सूचना है जो एआई द्वारा संचालित होती है। डीपफेक के माध्यम से इस तरह की गलत सूचना के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों या प्लेटफार्मों को परामर्शी निदेश जारी किए है, उनका ध्यान उपरोक्त प्रावधानों की ओर आकर्षित किया है और उन्हें निम्नानुसार सलाह दी है:

(i) उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके नियमों और विनियमों और उपयोगकर्ता अनुबंध में उपयोगकर्ताओं के लिए आईटी नियमों के तहत निषिद्ध किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहीत, अपडेट या साझा न करने के लिए सम्यक प्रावधान शामिल हैं;

(ii) वे यह सुनिश्चित करने के लिए अपने उपयोग की शर्तों को संरेखित करेंगे कि सभी उपयोगकर्ता जागरूक हैं और वे अपने उपयोगकर्ताओं को आईटी नियमों के तहत अपने प्लेटफार्मों पर अनुमेय या नहीं के बारे में संवेदनशील बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे;

(iii) इस संबंध में उनके द्वारा किए गए सम्यक प्रयासों के भाग के रूप में, वे उन सूचनाओं की पहचान करने के लिए उपयुक्त तकनीक और प्रक्रियाएं भी स्थापित कर सकते हैं जो नियमों और विनियमों या उपयोगकर्ता समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकती हैं; और

(iv) उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर आईटी नियम, 2021 के उपरोक्त प्रावधानों तक पहुंच को हटाने या अक्षम करने के लिए उचित सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसी से अदालत के आदेश या अधिसूचना प्राप्त होने पर या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(v) मध्यस्थों द्वारा आईटी नियम, 2021 में प्रदान की गई सावधानी का पालन करने में विफलता के मामले में, वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत अपने सुरक्षित स्थान की सुरक्षा खो देंगे और आईटी अधिनियम, 2000, आईटी नियम, 2021, भारतीय दंड संहिता, 1860 और आईटी नियम 2021 के नियम 7 के अनुसार अन्य लागू कानूनों में प्रदान की गई परिणामी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

सरकार ने आईटी नियम, 2021 के तहत शिकायत अपीलीय समितियों की भी स्थापना की है ताकि उपयोगकर्ताओं और पीड़ितों को शिकायत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में मध्यस्थों के शिकायत अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ www.gac.gov.in पर ऑनलाइन अपील करने की अनुमति मिल सके। इसके अलावा, गृह मंत्रालय नागरिकों को सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) संचालित करता है, और एक टोल-फ्री हेल्पलाइन (1930) भी संचालित करता है।

******